



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:42369

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****दांडिक प्रकी. जमानत आवेदन सं. - 2191 वर्ष 2026**

अरुण कुमार

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग,
लखनऊ एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	: मोह. तौफीक सिद्दीकी, आलोक कुमार शुक्ला
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	: शा.अधि.

न्यायालय सं. - 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अधि. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध सं. 232 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 74, 333, 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 288, 103(1), 3(5), भा.न्या.सं. पुलिस थाना - बघराई, जिला प्रतापगढ़ में विचारण के दौरान जमानत पर छोड़े जाने की मांग के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे अंतरस्थ हेतु से प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने निवेदित किया है कि आवेदक का प्र.सू.रि. में नामित है, किन्तु उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है। उन्होंने आगे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कहा है कि घायल साक्षियों द्वारा भूमिका बताई गई है, जिसमें वर्तमान आवेदक की विशेष भूमिका बताई गई है और इस प्रकार, आवेदक की भूमिका अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों की भूमिका से भिन्न है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि आवेदक का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास नहीं है, और वह 24.10.2025 से जेल में बंद है। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि आवेदक वचनबंध करता है कि यदि उसे जमानत प्रदत्त की जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाहियों में सहयोग करेगा। इसलिए, निवेदन है कि आवेदक को जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अ.शा.अधि. ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया है और कहा है कि आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है और आवेदक प्रथम सूचना में नामित है, और इसलिए, वह किसी भी अनुतोष के लिए अधिकृत नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान आवेदक सहित कुल आठ अभियुक्त हैं और वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं, किन्तु वर्तमान आवेदक को कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है।

इस न्यायालय ने विचार किया है कि घायल साक्षियों ने दं.प्र.सं. की धारा 161 के अधीन अपने कथनों में विशेष भूमिका बताई है, और अंकित सहित आवेदक की मारपीट करने की सामान्य भूमिका बताई गई है। वर्तमान आवेदक की भूमिका अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों की भूमिका से भिन्न है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय ने यह भी पाया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 24.10.2025 से जेल में बंद है। आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, और इस तथ्य के साथ कि आवेदक ने वचनबंध दिया है कि यदि उसे जमानत प्रदत्त की जाती है, तो वह उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाहियों में सहयोग करेगा, अन्वेषण में किसी प्रकार का अवरोध आने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।

दोनों ओर के विद्वान् अधिवक्ताओं के निवेदनों, अभियोग की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, समर्थनकारी साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथमदृष्ट्या संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपर्युक्त उल्लिखित अपराध में सम्मिलित आवेदक - **अरुण कुमार** को, उसके संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो, प्रत्येक समान राशि के, प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ, जमानत पर छोड़ दिया जाए:-

(1) आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान साक्षियों को धमकी/ दबाव डालकर या अन्यथा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(2) आवेदक इस प्रभाव का एक वचनबंध देगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत दिनांक पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह नियत की गई प्रत्येक

दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

से उपस्थित रहेगा। किसी पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है;

(3) आवेदक, (i) मामला आरंभ होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) धारा 313, दं.प्र.सं. के अधीन कथन अभिलिखित करते समय, विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; और

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82, दं.प्र.सं. के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत दिनांक पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अधीन उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही आरंभ करेगा।

प्रतिभुओं की पहचान, प्रास्थिति और निवास प्रमाण का, संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापन किया जाएगा और उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने और आवेदक को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में किए गए संप्रेक्षण केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुणावगुण पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

जून 30, 2026

एमकेएस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।